फर्द अहकाम

लल्लूलाल वगै. बनाम प्रहलाद पुजारी वगै.

नाम न्यायालय

केस संख्या 101/2025

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	29/8/25	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील अप्रार्थी उप.। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं अदालत से प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को व प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली, राजस्व रिकार्ड व प्रार्थना पत्र T.I, उपलब्ध रिकार्ड उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। मनन करने पर इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि सुविधा का सन्तुलन, प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित है। इस स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम गोनेर के ख.नं. 683, 684, 686 कुल किता 3 कुल रकबा 1.3500 है. में तादफैसला उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि उक्त आराजीयात में मौके की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली ज़ब्त शुमार होकर दर्ज नम्बर से मन की जावे बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय ([illegible])